Form No. III

Qnlvgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

रतनलाल बनाम **जतना वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे0वि0)** नं0 **037** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नही। पत्रावली विगत लम्बे समय से तलबी में नियत है एवं वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस पेश नहीं किये गये है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू में लम्बित प्रकरण संख्या 009/2022 (राजस्व अपील) अनवानी रतनलाल बनाम जतना वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त नहीं होने की संभावना से प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू से दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान स्थिति में तत्कालीन पीठासीन का स्थानान्तरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निष्प्रभावी **(Ineffective)** हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अधिशेष नहीं रहती है, अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम की प्रति अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बेंगू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 06.08.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	